95/

संख्या– — /XXXVI(1)/2016-75/2007 T.C.

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी,
अधिवक्ता,
ई–179, स्ट्रीट नं0–9,
खजूरी कॉलोनी, दिल्ली–110094

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 29 जून, 2016

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पैनल अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको पैनल अधिवक्ता के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रेत्तर 01 वर्ष की अवधि के लिए आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3– आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–123/XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003 दिनांक 10.04.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

4– साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ कि यदि सहमत हों तो कृपया अपनी लिखित सहमति एवं एडवोकेट के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तथा आवासीस पता दूरभाष संख्या सहित उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या–351(1)/XXXVI(1)/2016-75/2007 T.C. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9. ईरला चैक अनुभाग, उत्तरखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

29.06.16

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

c:\users\lenovo\documents\bhagwan yr 2016\appointment of lawyers in h.c & s.c\appointment in supreme court.docx